

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सी.आर. नं. 1

बनाम

बिकरी बाई

सम मुकदमा

बाद

नं०

13

सन 2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

20/11/2024

पत्रावली पेश हुई... अधिवक्ता संघ द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित कराये गए।
अब पत्रावली पेश करने दिनांक
31/11/24 को पेश की जावे।

Bijli
[Signature]

05/12/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी
को प्रतिवादी सं. 3, 4 के नोटिस जैसेस प्रस्तुत करने
के पूर्व में दिनांक 19-06-2024 से अब तक कुल
07 अवसर दिये जाते हैं बावजूद भी वकील वादी
नोटिस जैसेस प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे
पता चलता है कि वकील वादी/वादी बाद-पत्र को
पहचानना नहीं चाहते हैं। अतः वकील वादी का बाद-
पत्र इसी स्तर पर CPC के (O) 9 (R) 5 के अन्तर्गत
वकील वादी द्वारा नये सम्मन लाने में असफल
रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजिल
कुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिन्तौड़गढ़)